भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

प्रतिफल की धनराशि – रू0 10,55,000/–

अग्रिम धनराशि – रू0 10,50,000/–

बकाया धनराशि – रू0 5,000/–

मालियत – रू0 4,26,375/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प– रू0 73,950/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO. B 307569

2 AUG 2011

3. ग्राम — बरौना

4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खसरा संख्या 136 रकबा 0.057 हेक्टेअर, खसरा संख्या 137 रकबा 0.132 हेक्टेअर, खसरा संख्या 1624/1 रकबा 0.190 हेक्टेअर कुल रकबा 0.379 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.1895 हे0 स्थित ग्राम— बरौना, परगना— बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाइ — हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.1895 हेक्टअर

7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड से 200 मी0 से

भारतीय गैर न्यायिक Rs 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

Rs.10000

10000 रु.

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अधिक दूर

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – कोई पेड़ नहीं है।

10. बोरिंग / कुआँ अन्य– कुछ भी नहीं है।

संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 136 व 137

उत्तर	:	खसरा नं0 132
दक्षिण	:	खसरा नं0 135, 138, 143
पूरब	:	खसरा नं0 131
पश्चिम	:	खसरा नं0 134

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND दस हजार रुपये

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0[illegible]5973

- 1 JUN 201[illegible]

<u>चौहद्दी खसरा नं0 1624/1</u>

उत्तर	:	खसरा नं0 1623
दक्षिण	:	ग्राम सीमा दाउद नगर
पूरब	:	खसरा नं0 1624 का शेष भाग
पश्चिम	:	खसरा नं0 1624 का शेष भाग

प्रथम पक्ष की संख्या–1 : द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
दुलारा पुत्री घसीटे निवासी– शिवढरा, बरौना,	:	गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 072889

जिला लखनऊ।	रायबरेली।
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– कृषि

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र दुलारा पुत्री घसीटे निवासी– शिवढरा, बरौना, जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)

एवम्

गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 072890

द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 136 रकबा 0.057 हेक्टेअर, खसरा संख्या 137 रकबा 0.132 हेक्टेअर, खसरा संख्या 1624/1 रकबा 0.190 हेक्टेअर कुल रकबा 0.379 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.1895 हे0 स्थित ग्राम– बरौना, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी संख्या 00612 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 072891

में बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 272149

भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 10,55,000/- (रु0 दस लाख पचपन हजार मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 085390

19 JUL 2011

है जिसमे से बतौर अग्रिम धनराशि रू0 10,50,000/- (रू0 दस लाख पचास हजार मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करवा कर द्वितीय पक्ष के पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने के बाद तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीला हवाली या इन्कार नही करेगा तथा शेष बकाया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 085389

19 JUL 2011

धनराशि रू0 5,000/–(रू0 पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 085388

19 JUL 2011

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 085387

19 JUL 2011

TRY. LKO.

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 682010

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू० 22,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1895 हे० की मालियत रू 4,26,375/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 73,850/- +100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को अग्रिम धनराशि 8,00,000/- द्वारा चैक संख्या- 892467 दिनांकित 03.08.2011 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।
2. प्रथम पक्ष को रू0 2,50,000/- नगद द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुये। जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अग्रिम मूल्य रू0 10,50,000/- (रू0 दस लाख पचास हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊ:

दिनांक : 03.08.2011

गवाह :

1.

2.

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(बिकट रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (करार)

1,055,000.00	426,375.00	1,050,000.00	10,000.00		20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री		नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती दुलारा
पुत्री श्री घसीटे
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी शिवढरा बरौना लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/8/2011 समय 5:03PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
3/8/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती दुलारा
पुत्री श्री घसीटे
पेशा गृहिणी
निवासी शिवढरा बरौना लखनऊ

क्रेता

श्री राम प्रसाद
पुत्र श्री भगौती
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम पुरे गिरधी किलौली रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री ओम प्रकाश तिवारी
पुत्र श्री गोविन्द प्रकाश तिवारी
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग लखनऊ
व श्री बब्लू सिंह
पुत्र श्री अमर सिंह
पेशा कृषि
निवासी बरौना लखनऊ
ने की। 1 रु
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
3/8/2011

विक्रेता – दुलारी पुत्री धनीराम

क्रेता – नारायण S/o ...

रकबा – 0.1395 हेक्टेयर

ग्राम – ...

खसरा नं० 136, 137, व 1624/1

बाधा

विक्रेता / प्रधान पति
दिनेश चन्द्र
दुलारी

क्रेता / ...
दिनेश चन्द्र
नारायण

विक्रेता

Registration No.: 11478 Year: 2,011 Book No.: 1

0101 दुलारा

[illegible]

[illegible]

गृहिणी

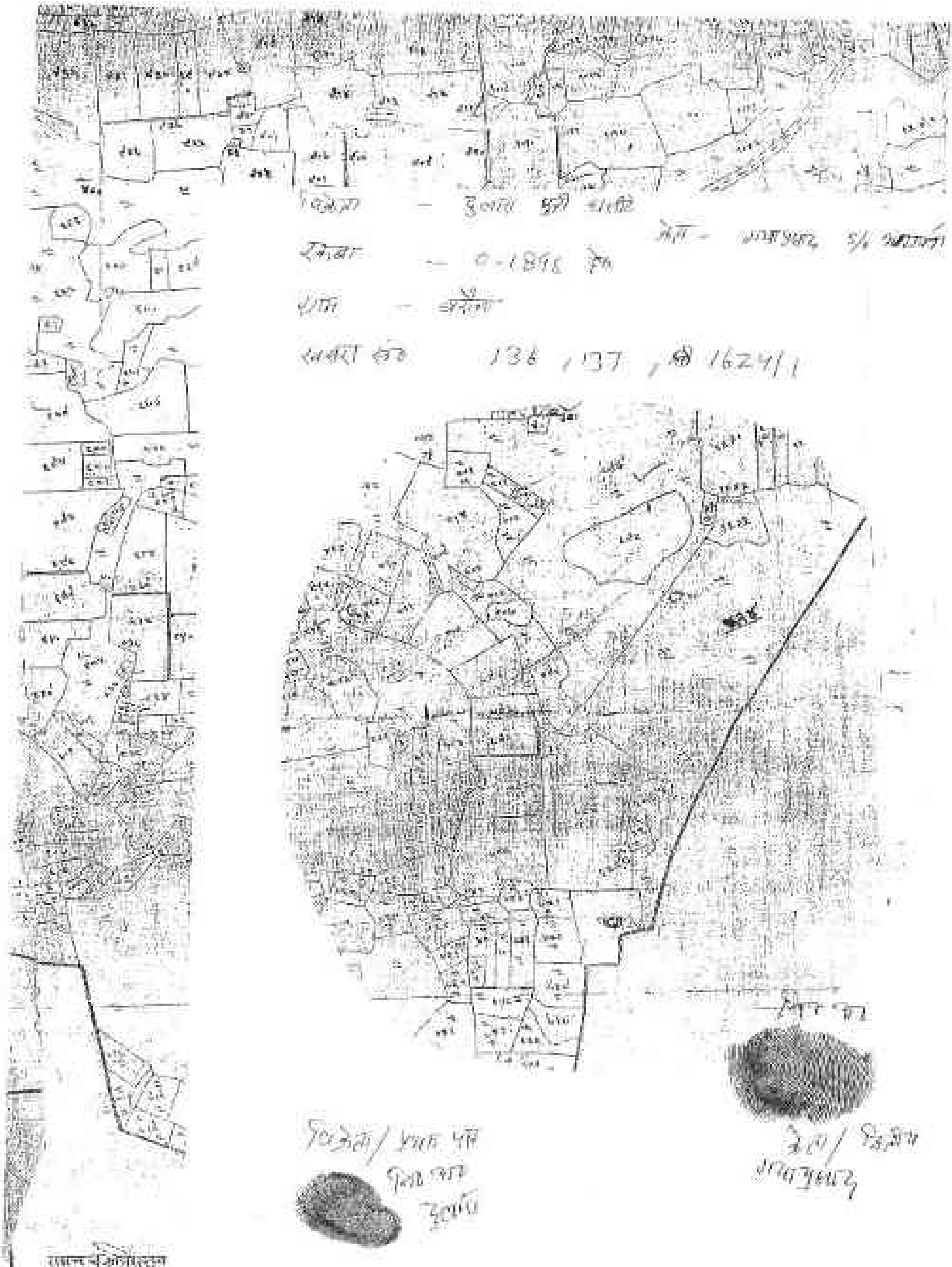

विक्रेता — दुलारी पुत्री [illegible]

क्रेता — [illegible] S/o [illegible]

रकबा — 0.1815 हे0

ग्राम — [illegible]

खसरा नं0 136, 137, व 1624/1

क्रेता

Registration No: 11478 Year: 2,011 Book No: 1

0201 कृपा प्रसाद

व्यापारी

पता [illegible] सिटी [illegible]

आगरा

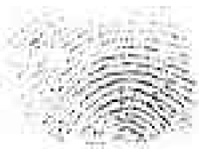

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पता:– दुलारा पुत्री घसीटे निवासी– शिवढरा, बरौना, जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

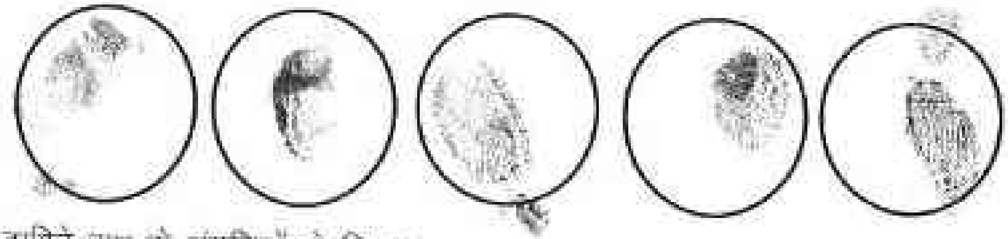

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

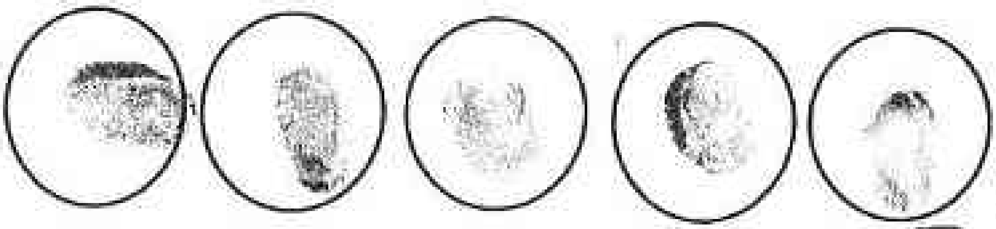

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का नाम व पता:– गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

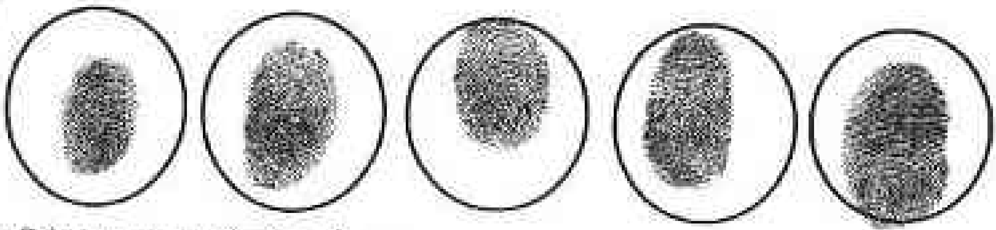

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

आज दिनांक **03/08/2011** को

बही सं **1** जिल्द सं **13068**

पृष्ठ सं **203** से **236** पर क्रमांक **11478**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

3/8/2011